has occurred. In addition Union Government have suggested short term measures to Delhi to avoid water crisis.

(d) There is no water dispute between Delhi and Haryana at present. Haryana is supplying additional raw water to Delhi on payment from its own share of Ravi -Beas/Yamuna waters keeping in view its own requirement of irrigation and drinking water.

सरकार के समक्ष लम्बित नदी जल विवाद

5199. **श्रीमती स्वराज** : क्या जल संसाधन मंत्री 4 मार्च, 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1766 को दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ये नदी जल विवाद समाधान के लिए कब से लम्बित हैं; और

(ख) क्या सरकार इन विवादों के शीघ्र समाधान के लिए कोई विशेष प्रयास किए जाने के संबंध में विचार कर रही है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) तमिलनाडु सरकार ने अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत एक अधिकरण गठित करने के लिए जुलाई, 1986 में औपचारिक रूप से अनुरोध किया था। भारत सरकार ने इस बात से स्वयं संतुष्ट होने के बाद कि इस विवाद को बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता है, 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण गठित किया था।

पंजाब समझौता पंचाट के पैराग्राफ-9 के अनुसरण में अप्रैल, 1986 में भारत सरकार द्वारा अपनी ओर से रावी व्यास जल अधिकरण गठित किया गया था।

जल संसाधन क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय मुद्दों से संबंधित स्थायी समिति को अंबला तक यमुना जल के आबंटन से संबंधित मुद्दा भेजा गया था। समिति की पहली बैठक 11-9-90 को आयोजित की गई थी।

(ख) कावेरी और रावी व व्यास मुद्दे पहले से ही जल विवाद अधिकरणों के पास हैं, यमुना जल के आबंटन से संबंधित मुद्दे का हल इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी जल्दी भागीदार राज्य एक साथ मिलकर स्थायी समिति की बैठकों में चर्चा करके आम सहमति पर पहुंचते हैं।

Investigation of closure of sluice gates

5200. SHRI CHIMANBHAI MEHTA :
SHRI MOHD. MASUD KHAN :
SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY :
SHRI SARADA MOHANTY :
SHRI G. G. SWELL :

Will the Minister of WATE RESOURCES be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Ministry of Environment has decided to send or has already sent a team to SSP to investigate about the closure of sluice gates and its effect on the villagers who are residing in the proposed submerged area ;

(b) if so, whether Government have taken into consideration the Tribunal Award which restricts the review up to 45 years and to be done unanimously by the four concerned States and the Centre ;

(c) what are, the terms of the investigation laid down by Government;

(d) whether the team was sent after consultation with Water Resources Department ;

(e) if not, the reasons therefor ;

(f) the progress of SSP related to construction of dam-height Canal and distributaries till this day ;

(g) what is the amount spent so far on the construction of Dam height, Canal construction, distributaries construction and in acquiring land; and

(h) whether the cement lining of Canal costs one third of the Canal construction .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) to (c) A fact finding team comprising S/Shri S. C. Maudgal (Adviser, Ministry of Environment & Forests), Kushalappa (Regional Chief Conservator of Forests), Bittu Sahgal and Shyam Chainani (Environmentalists), was constituted to visit the project area and report back on the compliance status of environmental action plans, including rehabilitation, in the wake of closure of sluices. The objective of the team is not to review the height of the dam.

(d) No, Sir.

(e) Consultation with the Ministry of Water Resources was not necessary.

(f) The height of the lowest block of the Sardar Sarovar Dam has been raised upto Elevation Level 69 metres. The progress in regard to the construction of Narmada Main Canal and its distributaries till the end of January, 1994 is as under :

(Percentage)

	Earthwork	Lining	Structural concrete
Phase-I (00 to 82 Km.)	86.88	59.95	74.95
(82 to 144.5 Km.)	85.59	68.18	32.97
Branch Canals			
Phase-I (0 to 144.5 Km.)	59.24	30.85	44.07

(g) The Unit-wise expenditure incurred upto the end of February, 1994 on Sardar Sarovar Project is as under :

Unit	Component	Amount (Rs. in crores)
I	Dam & appurtenant works	124.47
II-A	Main Canal	611.91
II-B	Branches & distribution systems	2224.12
III	Power	590.77

(h) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विद्युत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां

5201. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नर्मदा परियोजना को ''राष्ट्रीय योजना'' के रूप में घोषित करने का विचार रखती है;

(ख) क्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों की सरकारों ने चार बड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग की है;

(ग) 1987-88 के मूल्यों के आधार पर इन चार परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या होगी और मूल्य वृद्धि के बाद नवीं पंच-वर्षीय योजना में इनकी अनुमानित लागत क्या होगी; और

(घ) नर्मदा जल विवाद अधिनिर्णय के अनुसार इन राज्यों को नर्मदा का कितना जल आवंटित किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) यद्यपि नर्मदा परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं, फिर भी किसी भी परियोजना को ''राष्ट्रीय परियोजना'' के रूप में घोषित नहीं किया गया है।

(ख) जापान सरकार से ओवरसीज इकोनामिक को-ऑपरेशन फंड ऋण सहायता के बंद हो जाने के कारण तथा वित्त पोषण की वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के लिए सरदार सरोवर परियोजना के नदी तल विद्युत घर के वास्ते टरबो-जनरेटिंग सेट खरीदने हेतु विद्युत क्षेत्र घटक हेतु महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकारों ने अतिरिक्त निधियां मांगी हैं। नर्मदा नदी पर नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर नामक अन्य तीन परियोजनाओं को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नर्मदा सागर परियोजना को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी है।

(ग) नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर परि-